

संपत्ति प्रबन्ध कार्यालय
वृन्दावन योजना, लखनऊ
उत्तर प्रदेश आवास एवम विकास परिषद

पत्रांक 10770

सं प्र० Plot No. 4B/158

दिनांक : 09/12/16

प्रदेशन पत्र/अनन्तिम

पंजीकृत

सेवा में

श्री/श्रीमती/कु०/PREETI BHASKER
पुत्र/पत्नी/पुत्री/SHYAM LAL BHASKAR
D-148 SOUTH CITY LUCKNOW

संपत्ति के आवंटन हेतु अपने आवेदन पत्र (लाटरी) का संदर्भ लें।
दिनांक 07.11.2016 आवंटन आपको निर्माकित संपत्ति का आवंटन किया गया है

शहर	लखनऊ	फार्म संख्या	2154
आरक्षण श्रेणी	SC	संपत्ति श्रेणी कोड	Plot (up.to 80 sq.m.)
योजना	वृन्दावन योजना लखनऊ		
पंजीकरण योजना	General		
भूगतान पद्धति	नकद		
संपत्ति संख्या	4B/158		
भूखण्ड का क्षेत्रफल	74.40 वर्ग मी०		
रु० प्रति वर्ग मी०	16000.00		

(क) संपत्ति का मूल्य		(ख) अब तक जमा धनराशि	
भवन का कुल मूल्य	रु०	पंजीकरण धनराशि	रु० 45000.00
भूखण्ड का मूल्य (रु० 1190400.00	जमा धनराशि	रु० 22500.00
छूट के पश्चात)		कम/अधिक जमा (+)/(-)	रु० 22500.00
कार्गंर भूखण्ड(रु० 119040.00	व्याज	रु० 0.00
फ्रीहोल्ड शुल्क(रु० 157133.00		
भवन निर्माण का मूल्य	रु० --		
स्टाफ छूट (रु० --		
योग	रु० 1466573.00		
शेष देय	रु० 1444073.00		

(ग) देय धनराशि		(घ) विविध शुल्क	
नकद / आधा नकद / एक मुश्त देय	रु० 1444073.00	फ्रीहोल्ड पुस्तिका	रु० 50.00
कम/अधिक जमा (+)/(-)	रु०	विशापान शुल्क	रु० 3666.00
योग	रु० 22500.00	विलेख निष्पादन / विन्नम विलेख शुल्क	रु० 300.00
किशतों की गणना हेतु अवशेष धनराशि	रु० 0.00	सीवर / जल संयोजन शुल्क	रु० 11300.00
10.5 प्रतिशत व्याज सहित		अग्रिम जल मूल्य	रु० 450.00
		साईट प्लान शुल्क	रु० 50.00
		योग	रु० 15766.00

नोट-
(१) किसी भी देय धनराशि के विलम्ब से भुगतान करने पर 12.5 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त व्याज देय होगा।
(२) व्यायालय के आदेश से अथवा अन्य किन्ही कारणों से उक्त मूल्य में परिवर्तन करना पडा तो तदनुसार आपको भुगतान करना होगा।
उपरोक्त विवरण के अंश (ग) में अंकित धनराशि एवं प्रथम किशत धनराशि PUNJAB NATIONAL BANK SOUTH CITY RAIBARELY ROAD LUCKNOW में परिषद के खाला संख्या CA 4793002100001269 तथा (घ) की धनराशि PUNJAB NATIONAL BANK SOUTH CITY RAIBARELY ROAD LUCKNOW में परिषद के खाला संख्या CA 4140012100000432 में दिनांक 15.02.2017 तक अवश्य जमा करनी होगी। सामान्य आवासीय सम्पत्ति के आवंटि उक्त वांछित धनराशि जमा न करके इस पत्र के निर्गत होने की तिथि से तीन माह के अन्दर आवन्टन तथा प्रदेशन निरस्त कराने की प्रार्थना करता है तो पंजीकरण धनराशि रु० 45000.00 का 20.00 प्रतिशत जब्त करते हुये आवंटन तथा प्रदेशन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। तीन माह के पश्चात आवंटि के अनुरोध पर अथवा अदेयता की स्थिती में निरस्तीकरण होने पर पंजीकरण धनराशि रु० 45000.00 का 50.00 प्रतिशत की दर से कटौती करते हुये उनका पंजीकरण तथा प्रदेशन निरस्त कर दिया जायेगा एवम आवन्टित संपत्ति अन्य को आवन्टित कर दी जायेगी।
नकद क्रम पद्धति पर आवंटित सम्पत्ति के कुल मूल्य के विरुद्ध देय सम्पूर्ण धनराशि पर इस पत्र की तिथि से दो माह (60 दिन) के अन्दर भुगतान करने पर भूखण्ड एवम भवन के कुल मूल्य पर क्रमशः एक प्रतिशत / दो प्रतिशत की छूट दी जायेगी। दो माह के अन्दर भुगतान करने की स्थिती में आवन्टी इस छूट को स्वयं समायोजित करते हुये अवशेष धनराशि जमा कर सकता है। डाक विलम्ब हेतु परिषद उत्तरदायी नहीं होगा। उक्त भवन/ भूखण्ड को किसी भी ऋण देने वाली संस्था के पक्ष में बंधक रखने में उ० प्र० आवास एवम विकास परिषद को कोई आपत्ति नहीं है।

शुभकामनाओं सहित

कृते आवास अयुक्त